

(क). निविदा के साथ बिना साक्ष्यीकृत बैंक से दायिपालक सचिव आ आं ५० बि. सी. के पक्ष में रुपये २०००/- (दो हजार) दाल डिपोजिट के रुप में सलक्षण करवा होगा। डिपॉजिट ड्राई तथा चेक स्वीकृत नहीं किए जायेंगे। बिना दस्तावेज एवं पक्ष के निविदा को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। निविदा दाल डिपोजिट के बिना अस्वीकृत कर दी जायेगी। दस्तावेज में किसी तरह का सुधार बिना प्रमाणित करने स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ग) सफल अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह कोई तथा सभी निविदा स्वीकृत व अस्वीकृत कर सकता है।

(घ). सामान निविदा दाल आ ठीका पता मिले तब दाल डिपोजिट को इसे दायिपाल्य में रखा जाएगा तथा